

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 28-9-2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा एवं नवीनगर के रेफरल अस्पताल में विद्युत संबंधी कार्य हेतु रुपये 38,58,196/- (अड़तीस लाख अन्ठावन हजार एक सौ छियानवे रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद के अनुरोध पत्र संख्या-810, दिनांक-16.05.2016 के आलोक में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-330 (वि०) दिनांक-13.04.2018 से प्राप्त भवनों के विद्युतीकरण से संबंधित प्राक्कलन निम्नवत् कार्यों हेतु उपलब्ध कराया गया है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Renovation with addition & alteration to E.I in Referral Hospital (G+1), 2 Nos. of Doctor's Residence & 3 Nos. of 4 th Grade Staff Residence at Kutumba Distt. Aurangabad	19,29,098/-
2	Renovation with addition & alteration to E.I. in Referral Hospital (G+1), 2 Nos. of Doctor's Residence & 3 Nos. of 4 th Grade Staff Residence at Navi Nagar Distt. Aurangabad	19,29,098/-
Total-		38,58,196/-


उक्त प्राक्कलन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा एवं नवीनगर के रेफरल अस्पताल में विद्युत संबंधी कार्य हेतु रुपये 38,58,196/- (अड़तीस लाख अन्ठावन हजार एक सौ छियानवे रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। कार्य करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया जायेगा।
- (iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/ एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- (vi) भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

- (3) इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं०-02 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन, लघु शीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष-0001-शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड- 03-2059600530001, विषय शीर्ष- (27 02)-अनुरक्षण एवं मरम्मत, अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।
- (4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।
- (5) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि०(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि०(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि०(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि०(2) दिनांक-09.04.2010, 1014/वि०(2) दिनांक-03.02.2011, 1752/वि०(2), दिनांक-01.03.2011 एवं 2837/वि०(2) दिनांक-29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
- (6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।
- (7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/गै०यो०-02-05/2018 के पृष्ठ-2/टि० पर प्राप्त है ।
- (9) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।
- (11) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव ।


ज्ञापांक:-

591(10)

/स्वा०, पटना, दिनांक:- 28-9-2018

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/सिविल सर्जन, औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कुटुम्बा एवं नवीनगर (औरंगाबाद)/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव ।